आवेदक का नाम —---------- —------- प्रकरण क्र / /
भूमि ग्राम : —---------- सर्वे नंबर —-------रकबा —----------

क्रं.	जांच हेतु निर्धारित बिन्दु का विवरण	जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट
1.	आवेदित भूमि क्रय कि गई है अथवा पैत्रक है	यदि क्रय कि गई है तो रजिस्ट्री कि छायाप्रति सलंग्न करें	
2.	भूमि यदि क्रय कि गई है तो आदिम जनजाति के सदस्य से क्रय कि गई है अथवा गैर आदिम जनजाति सदस्य से क्रय कि गई है	
3.	भूमि कितने मूल्य में क्रय कि गई है	आदिम जनजाति सदस्य द्वारा भूमि क्रय करने हेतु राशी कहां से एकत्रित कि गई है	
4.	आदिम जनजाति सदस्य आवेदक के पास कुल कितनी भूमि उपलब्ध है खसरा नक़ल सलंग्न करें	भूमि विक्रय पश्चात कितनी भूमि शेष बचेगी, खसरा नं. रकबा का उल्लेख करते हुए खसरा नकल सलंग्न करें	शेष भूमि में सिंचित कितनी है और असिंचित कितनी है	
5.	आवेदक जनजाति सदस्य के परिवार में सदस्यों कि संख्या कितनी है वयस्क सदस्यों की भूमि बिक्री हेतु सहती है अथवा नहीं	शपथ पत्र सलंग्न कराया जावे	
6.	भूमि विक्रय पश्चात् आवेदक आदिमजनजाति के सदस्य के पास आजीविका आय का साधन क्या होगा स्पष्ट किया जावे	
7.	आवेदन में उल्लेखित भूमि विक्रय का कारण क्या है भूमि विक्रय के कारण के संबंध में साक्ष्य अथवा दस्तावेज सलंग्न कराया जावे	आवेदक के आवश्यकताओं कि पूर्ति क्या अन्य शासकीय योजनाओं से की जा सकती है	क्या भूमि गैर आदिवासी को विक्रय किया जाना एक मात्र विकल्प है	
8.	आवेदित भूमि सिंचित है अथवा असिंचित	भूमि का वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है	विक्रय कि जा रही भूमि कि मुख्य मार्ग से कितनी दूरी है	
9.	विक्रय कि जा रही भूमि का क्या व्यवसायिक उपयोग संभावित है	
10.	विक्रय कि जा रही भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त तो नहीं है	मिसाल नक़ल सलंग्न कि जावें	
11.	विक्रय कि जा रही भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य कितना है उपपंजीयक कि रिपोर्ट सलंग्न कि जावे	

12.	आवेदक आदिम जनजाति सदस्य के द्वारा किसे भूमि विक्रय कि जा रही है	कितनी राशी में भूमि विक्रय कियरा जा रहा है	क्या आदिम जनजाति के सदस्य को वर्तमान गाईड लाईन दर से अधिक पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त हो रहा है स्पष्ट अभिमत लिखा जावे		
13.	आवेदित भूमि विक्रय किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त तो नहीं है		
14.	क्या भूमि अंतरण से आदिमजनजाति के सदस्य के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामजिक हितों पर कोई प्रतिकल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा		
15.	अंतरण हेतु किया जा रहा संव्यवहार मिथ्या अथवा बनावटी तो नहीं है		
16.	भूमि अंतरण किये जानें पश्चात आवेदित भूमि का भविष्य में क्या उपयोग किया जावेगा		
17.	विगत 10 वर्षो में आवेदक आदिम जनजाति के सदस्य द्वारा कितनी भूमि किसके अनुमति से विक्रय कि गई है	शपथ पत्र प्राप्त करते हुए अपनी टीप सहित प्रतिवेदित किया जावे		
18.	विगत 10 वर्षो में आवेदिक आदित जनजाति के सदस्य द्वारा कितनी भूमि किसके अनुमति से विक्रय कि गई है	शपथ पत्र प्राप्त करते हुए अपनी टीप सहित प्रतिवेदित किया जावे		
19.	क्या आवेदक कि भूमि कोई आदिम जनजाति का सदस्य क्रय करने कको तैयार है अथवा नहीं		
20.	आवेदित भूमि के कब्जे को लेकर कोई विवाद तो नहीं है किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन हो तो पूर्ण विवरण सहित उल्लेख किया जावे		

दिनांक

हस्ताक्षर